

**कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर**

क्रमांक एफ14( )एफसीए/उवसं/2017-18/12602

दिनांक:- 30/11/17

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर।

विषय:- ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में ओ.एच.एस.आर. के निर्माण हेतु 0.0225 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज/08/26/2017/एफ.सी/595 दिनांक 14.11.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में आक्षेप लगाया जाकर सूचना चाही जाने पर सूचना निम्नानुसार संलग्न अग्रिमक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेप दि. 14.11.2017	प्रत्युत्तर
1.	The Kml files for forest land proposed to be diverted and proposed land for Compensatory Afforestation (CA) have not been submitted with hard copy of proposal. Same need submission.	के.एम.एल फाईल पूर्व में प्रस्तावों के साथ संलग्न कर दी गई है। प्रकरण में जिस स्थल पर 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराया जाना है उसे जी.टी. शीट में मार्क कर प्रस्तावों के साथ पूर्व में संलग्न कर दिया गया है।
2.	Sol Toposheets of forest land proposed to be diverted, proposed land for CA (in original; 1:50,000 scale) need submission.	वन भूमि के बदले 10 गुना क्षेत्र में कराये जाने वाले दण्डात्मक वृक्षारोपण क्षेत्र को जी.टी. शीट में मार्क कर दिया गया है। जी.टी. शीट संलग्न (A)
3.	Violation of FC Act, 1980 has been reported in the proposed for which a provision of penal CA is to imposed. In this regard, scheme of penal CA (10 times of extent of violation i.e. 0.0225X10=0.225ha) alongwith. Kml file and toposheet shall be submitted.	वन भूमि के बदले 10 गुना क्षेत्र में कराये जाने वाले दण्डात्मक वृक्षारोपण योजना संलग्न प्रेषित है। (B)
4.	Details of action taken on the violation alongwith copy of FIR & copy of offence report must be submitted. The proposal for diversion has been initiated after prolonged delay for which explanation must be furnished by the State Government.	एफ.आई.आर. एवं जुर्माने की रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न:- चार सेट

भवदीय

(अजय चिन्नीड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर

क्रमांक एफ14( )एफसीए/उवसं/2017-18/12603

दिनांक:- 30/11/17

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(अजय चिन्नीड़ा)  
उप वन संरक्षक  
अजमेर